

नाथू बनाम गजानन्द वर्गौ  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर  
 केस संख्या 117.../2025 दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट  
 आज्ञा विस्तृत रूप से


क्रमांक  
 दिनांक  
 09.2025

विशेष  
 विवरण

वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिवक्ता श्री रमेश कुमार मीणा द्वारा वाद पत्र ने पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/10/25 को पेश हों।

  
 सहायक कलक्टर  
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

15/10/25 पगावली पेय डई। काडी व कडील काडी उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। धारा-2 आवाज लगाने पर भी कोरे उपस्थित नहीं। अतः पगावली अदमपैरकी, अदमहाजरी में खारिज हो जाती है। पगावली रिपोर्ट शुमार धारा दाखिल दफ्तर हो।

  
 सहायक कलक्टर  
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज